



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042025-262357
CG-DL-E-09042025-262357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1626]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 2025/चैत्र 18, 1947

No. 1626]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2025/CHAITRA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2025

का.आ. 1657(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2822(E) तारीख 18/07/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में NH275 के किमी 171.30 से किमी 176.40 तक हुन्सुर शहर की सीमा (बंतवाल - मैसूर खंड) में पहुंच भूमि का पुनर्निर्माण। के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24.07.2024 " को "प्रजावाणी" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में NH275 के लक्ष्मीनाथ तीर्थ नदी पर किमी 173.600 पर प्रमुख पुल का पुनर्निर्माण, साथ ही किमी 171.30 से किमी 176.40 तक हुन्सुर शहर की सीमा (बंतवाल - मैसूर खंड) में पहुंच भूमि का पुनर्निर्माण। के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: मैसूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हंसुर					
गांव का नाम: दोड्डुहंसुर					
1	30/4	सरकारी	ग्रेवेयार्ड	0.1136	एक्वायर्ड फोर रोड पर्पज
2	31	निजी	गार्डन	0.0505	गवर्नमेंट ग्रेवेयार्ड
3	33	निजी	गार्डन	0.0125	हेच् आर् अन्नामलाई मोडलियर सुंदरमूर्ति मोडलियर अरमुगा मोडलियर मोहनवेलु मोडलियर बालम्मा सावित्राम्मा पद्मवथम्मा कनकम्मा डबल्यू/ओ शिवभूषण मोडलियर सभापति मोडलियर
गांव का नाम: कालकुनेके					
4	82/2	निजी	ड्राय	0.0655	हेच् टी गोविंदराजू एँस्/ओ थमैया एँस् के करियप्पा
5	96/5बी1	निजी	ड्राय	0.0651	के सी महादेवस्वामी हेच् के साथीशा हेच् एँस् देवराजा रम्य के एंड वेंकटेशा सहदेव: डीआर् डी थिम्म्या 1710/3676,3689/3716,3689/1,3716/1,3605,3605/1,2017
Total				0.3072	

[फा.सं. RW/BNG/NH-275/Km.171to 176/2023-24/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2025

S.O. 1657(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 2822(E) Dated:18/07/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building "(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance,

management and operation of NH275 and Re-construction of Major Bridge at Km 173.600 across Lakshmanathirtha River along with approaches land in the stretch from Km. 171.30 to Km. 176.40 Hunsur Town Limits (Bantwal - Mysore Section) in the district of MYSURU in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prajavani” and “The Time of India” both dated 24.07.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch Reconstruction of Major Bridge at Km 173.600 across Lakshmanathirtha River along with approaches land from Km. 171.30 to Km. 176.40 Hunsur Town Limits (Bantwal - Mysore Section) of NH275 in the district of MYSURU in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: MYSURU		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hunsur					
Village: Doddahunsur					
1	30/4	Government	Graveyard	0.1136	Acquired for road purposes
2	31	Private	Garden	0.0505	Government Graveyard
3	33	Private	Garden	0.0125	H R Annamalai Modaliyar Sundaramurthy modaliyar Armuga Modaliyar Mohanavelu Modaliyar Balamma Savitramma Padmavthamma Kanakamma W/o Shivabhooshan Modaliyar Sabhapathi Modaliyar
Village: Kalkuneke					
4	82/2	Private	Dry	0.0655	H T Govindaraju S/o Thammaiah S K Kariyappa
5	96/5B1	Private	Dry	0.0651	K C Mahadevaswamy H K Sathisha H S Devaraja Ramya K and Venkatesha Sahadevah Dr D Thimmiah 1710/3676,3689/3716,3689/1,3716/1,3605,3605/1,2017
Total				0.3072	

[F. No. RW/BNG/NH-275/Km.171to 176/2023-24/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director